न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2014 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये रवि जाधव
प्रवर्तन निरीक्षक , भीलवाडा

बनाम

1. फर्म मैसर्स माण्डल इण्डेन गैस (आई.ओ. सी.एल.) भीलवाडा
2. सुश्री सुनीता चावला फर्म प्रोपराईटर मैसर्स माण्डल इण्डेन , माण्डल भीलवाडा
3. श्री मेवाराम पुत्र श्री राम नारायण खटीक (चावला) निवासी ए–65 चावला विला, सुभाष नगर भीलवाडा , वाहन मालिक वाहन सं. आर.जे. 06 सी.बी. 1355
4. श्री कन्हैयालाल सालवी निवासी ऋतुराज कोलोनी, माण्डल चौराया, माण्डल, भीलवाडा । मालिक घटना स्थल
5. श्री जगदीश धोबी निवासी माण्डल, भीलवाडा । कार चालक
6. श्री सुरेश पुत्र कन्हैयालाल सालवी निवासी ऋतुराज कोलोनी, माण्डल चौराया , माण्डल

–प्रार्थी –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –
1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 28.04.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का दिनांक 14.09.2016 को विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 19.09.2011 को उपखण्ड अधिकारी माण्डल द्वारा टेलिफोन पर दी गई सूचना अनुसार माण्डल चौराहे पर गैस भरते समय कार में आग लग जाने से मौके पर प्रवर्तन अधिकारी माण्डल/भीलवाडा व जिला रसद अधिकारी , भीलवाडा सुश्री ममता यादव 6.30 पी.

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

एम0 पर मौके पर पहूंचे । मौके पर एक कार मॉडल अल्टो नम्बर आर.जे.06 सी. बी 1355 जली हुई हालत में पड़ी हुई थी । कार के पीछे गैस किट की फिटिंग पाई गई तथा कार के पीछे फिट काले रंग का सिलेण्डर फटा हुआ पाया गया । मौके पर माण्डल पुलिस चौकी से श्री रामनारायण ए.एस.आई पहूंचे एवं मौका स्थल पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर व एक रिफिलिंग मोटर मय दो गैस की नलियां व विद्युत तार जले हुये हालात में पाये गये जिसे उठाकर माण्डल पुलिस चौकी ले जाया गया तथा उक्त स्थल मालिक कन्हैयालाल सालवी का होना बताया गया । जिस स्थान पर आग लगी उस स्थान पर सुरेश पुत्र कन्हैयालाल सालवी का मकान है तथा श्री सुरेश द्वारा कार में गैस भरने का कार्य कर रहा था एवं सुरेश नामक यह व्यक्ति माण्डल इण्डेन गैस , माण्डल में कर्मचारी हैं । कार्यालय जिला रसद अधिकारी, भीलवाडा के पत्रांक/रसद/एलपीजी/2011/333 दिनांक 20.09.2011 के क्रम में जिला परिवहन अधिकारी भीलवाडा ने बताया कि वाहन सं. आर.जे.06 सी बी 1355 श्री मेवाराम पुत्र श्री रामनारायण खटीक (चावला) निवासी ए 65 "चावला विला" सुभाष नगर, भीलवाडा के नाम से पंजीकृत हैं । फर्द मौका में वर्णित अनियमितताओं से स्पष्ट हैं कि मैसर्स मांण्डल इण्डेन गैस (आई.ओ.सी.एल.) माण्डल, प्रोपराईटर सुश्री सुनीता चावला द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त सं. 11 (1)(5) सपठीत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1990 के खण्ड 3 सब क्लाज 3, अनुसूची –1 के पैरा 5 का स्पष्ट उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं । वाहन आर.जे.06 सी.बी. 1355 के मालिक श्री मेवाराम चावला पुत्र श्री राम नारायण खटीक (चावला) , घटना स्थल के मालिक श्री कन्हैयालाल सालवी निवासी ऋतुराज कोलोनी, माण्डल चौराया, माण्डल, भीलवाडा , पर्चा मौका में वर्णित उक्त कार के चालक श्री जगदीश धोबी एवं कार में गैस रिफिलिंग करने वाले व्यक्ति श्री सुरेश सालवी पुत्र श्री कन्हैयालाल सालवी निवासी ऋतुराज कोलोनी, माण्डल चौराया, माण्डल , भीलवाडा द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 4 सब क्लाज 1 (क) (ग) (ड.) का स्पष्ट उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं । अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि जब्तशुदा माल को राजसात कराने का आदेश फरमावें ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 8.10.2014 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी 4 व 6 की ओर से दिनांक 3.2.2012 को तथा विपक्षी सं. 1,2,3 व 5 की ओर से दिनांक 16.02. 2012 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि मैसर्स माण्डल इण्डेन गैस (आई.ओ.सी.एल.) माण्डल, प्रोपराईटर सुश्री सुनीता चावला द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत ज़ारी अनुज्ञापत्रे की शर्त सं. 11 (1)(5) सपठीत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1990 के खण्ड 3 सब क्लाज 3, अनुसूची –1 के पैरा 5 का स्पष्ट उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं । वाहन आर.जे.06

सी.बी. 1355 के मालिक श्री मेवाराम चावला पुत्र श्री राम नारायण खटीक (चावला) , घटना स्थल के मालिक श्री कन्हैयालाल सालवी निवसी ऋतुराज कोलोनी, माण्डल चौराया, माण्डल , भीलवाडा , पर्चा मौका में वर्णित उक्त कार के चालक श्री जगदीश धोबी एवं कार में गैस रिफिलिंग करने वाले व्यक्ति श्री सुरेश सालवी पुत्र श्री कन्हैयालाल सालवी निवासी ऋतुराज कोलोनी, माण्डल चौराया, माण्डल , भीलवाडा द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 4 सब क्लाज 1 (क) (ग) (ड.) का स्पष्ट उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं । अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि जब्तशुदा माल को राजसात कराने का आदेश फरमावें ।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया हैं कि दिनांक 19.09.2011 को उपखण्ड अधिकारी माण्डल द्वारा टेलिफोन पर दी गई सूचना अनुसार माण्डल चौराहे पर गैस भरते समय कार में आग लग जाने से मौके पर प्रवर्तन अधिकारी माण्डल/भीलवाडा व जिला रसद अधिकारी , भीलवाडा सुश्री ममता यादव 6.30 पी.एम0 पर मौके पर पहुंचे । मौके पर एक कार मॉडल अल्टो नम्बर आर.जे.06 सी बी 1355 जली हुई हालत में पड़ी हुई थी । कार के पीछें गैस किट की फिटिंग पाई गई तथा कार के पीछे फिट काले रंग का सिलेण्डर फटा हुआ पाया गया । मौके पर माण्डल पुलिस चौकी से श्री रामनारायण ए.एस.आई पहूंचे एवं मौका स्थल पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर व एक रिफिलिंग मोटर मय दो गैस की नलियां व विद्युत तार जले हुये हालात में पाये गये जिसे उठाकर माण्डल पुलिस चौकी ले जाया गया तथा उक्त स्थल मालिक कन्हैयालाल सालवी का होना बताया गया । जिस स्थान पर आग लगी उस स्थान पर सुरेश पुत्र कन्हैयालाल सालवी का मकान है तथा श्री सुरेश द्वारा कार में गैस भरने का कार्य कर रहा था एवं सुरेश नामक यह व्यक्ति माण्डल इण्डेन गैस , माण्डल में कर्मचारी हैं । कार्यालय जिला रसद अधिकारी, भीलवाडा के पत्रांक/रसद/एलपीजी/2011/333 दिनांक 20.09.2011 के क्रम में जिला परिवहन अधिकारी भीलवाडा ने बताया कि वाहन सं. आर.जे.06 सी बी 1355 श्री मेवाराम पुत्र श्री रामनारायण खटीक (चावला) निवासी ए 65 ''चावला विला'' सुभाष नगर, भीलवाडा के नाम से पंजीकृत हैं ।

फर्द मौका दिनांक 19.09.2011 के अनुसार '' दिनांक 19.09.2011 को सांय 06 बजे उपखण्ड अधिकारी माण्डल द्वारा टेलिफोन पर सूचित किया कि माण्डल चौराहे पर एक कार से गैस रिफलिंग करते समय आग लग गयी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही करें । सूचना प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा / माण्डल रवि जाधव जिला रसद अधिकारी भीलवाडा सुश्री ममता यादव सांय 6.30 बजे मौक पर पहूंचे। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि जिस जगह कार में आग लगी हैं, वह मकान श्री सुरेश पिता कन्हैयालाल सालवी (बलाई) का हैं। मौके पर देखा गया तो पाया कि एक दुकाननुमा स्थान में एक कार अल्टो जिसका नम्बर आर जे 06 सी बी 1355 हैं, जली हुयी अवस्था में पड़ी हुई थी । कार के पीछे गैस किट की फिटिंग पाई गई तथा काल रंग का गैस सिलेण्डर जो कार में फिट था, फटा हुआ पाया गया । मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि यह कार माण्डल इण्डेन गैस के संचालक श्री मेवाराम चावला की हैं तथा यहां पर गैस रिफलिंग करवाने आयी थी । मौके पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

दुकान जिसमें कार रखी हुई थी, उसकी छत टूटी पायी गयी । कार के चारों टायर जले हुये पाये गये । मौके पर, घटना स्थल पर कार मालिक या कार के संबंध में हैसियत रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं पाया गया । मौके पर उपस्थित ने बताया कि जिस जगह दुकान पर गैस भरी जा रही थी , वह दुकान श्री सुरेश पिता कन्हैयालाल बलाई की हैं। यही कार में गैस भरने का कार्य कर रहा था। उक्त सुरेश नामक व्यक्ति माण्डल इण्डेन गैस ऐजेन्सी पर भी कर्मचारी हैं । "

उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट में वर्णित अनियमितताओं से स्पष्ट हैं कि मैसर्स माण्डल इण्डेन गैस (आई.ओ.सी.एल.) माण्डल, प्रोपराईटर सुश्री सुनीता चावला द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त सं. 11 (1)(5) सपठीत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1990 के खण्ड 3 सब क्लाज 3, अनुसूची –1 के पैरा 5 का स्पष्ट उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं । वाहन आर.जे.06 सी.बी. 1355 के मालिक श्री मेवाराम चावला पुत्र श्री राम नारायण खटीक (चावला) , घटना स्थल के मालिक श्री कन्हैयालाल सालवी निवासी ऋतुराज कोलोनी, माण्डल चौराया, माण्डल, भीलवाडा , पर्चा मौका में वर्णित उक्त कार के चालक श्री जगदीश धोबी एवं कार में गैस रिफिलिंग करने वाले व्यक्ति श्री सुरेश सालवी पुत्र श्री कन्हैयालाल सालवी निवासी ऋतुराज कोलोनी, माण्डल चौराया, माण्डल , भीलवाडा द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 4 सब क्लाज 1 (क) (ग) (ड.) का स्पष्ट उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं । प्रार्थी ने उक्त जब्तसुदा माल का राजसात करने की प्रार्थना की हैं । विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा हैं । अतः जब्त सरकार की गई कार नं. आर.जे.06 सी.बी. 1355 व दो घरेलू गैस सिलेण्डर व एक रिफिलिंग मोटर मय दो गैस की नलियां व विद्युत तार को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं मौका स्थल से जब्त सरकार की गई कार नं. आर.जे. 06 सी.बी. 1355 व दो घरेलू गैस सिलेण्डर व एक रिफिलिंग मोटर मय दो गैस की नलियां व विद्युत तार को राजसात किये जाने की आदेश पारित किये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को जब्तशुदा माल को निस्तारण करने हेतु प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

28/04/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा